तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सोनू बनाम सोमवीर वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/4/25	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पूर्वानुसार दिनांक 1/5/25 को पेश हो।	
1/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित तहसीलदार उच्चैन से जवाब प्राप्त नहीं आदेश [illegible] है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
8/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित अधि० वादी ने प्रकरण को राजीनामा के आधार पर निस्तारित किये जाने का निवेदन किया प्रकरण की डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 12/5/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	
12/5/25	पत्रावली पेश हुई। अधि० उभयपक्ष उपस्थित वादपत्र वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा० कि० है। पक्षकारान डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)

वाद पत्र कमांक:— 140 / 2024

1. मोनु पुत्र ओमप्रकाश जाति सिकलीगर निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर।

..........वादी

बनाम

1. ओमवीर
2. जगवीर
3. जलवीर सिंह
4. जोगेन्द्र
5. रविन्द्र
6. रामवीर
7. विजय
8. सतेन्द्र पुत्रान मोहन सिंह जाति जाट निवासी नगला धौर फतेहपुर तहसील उच्चैन।
9. पिंकी
10. राजा पुत्रीयान मोहनसिंह जाति जाट निवासी नगला धौर तह0 उच्चैन, भरतपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उच्चैन।

......................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

उपस्थिति

1. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एडवोकेट वादी
2. श्री गोरधन धनकर एडवोकेट प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक:—12.05.2025**

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,188 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि मुझ वादी एवं प्रतिवादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1635 / 504 / 0.41है0 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में स्थित है। वादपत्र में वर्णित आराजी में से हिस्सा 17 / 41 को दिनांक 31.08.2020 को पूर्व प्रतिफल अदा कर प्रतिवादीगण के पिता मोहनसिंह पुत्र वत्तो जाति जाट निवासी नगला धौर से खरीद कर लिया था तथा उक्त खरीदशुदा आराजी पर मुझ वादी ने वक्त

Bharti
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

वयनामा ही कब्जा प्राप्त कर लिया था तथा वक्त वयनामा से आज तक में वादी उक्त खरीदशुदा वादग्रस्त आराजी पर काबिज हो काश्त करता चला आ रहा हूं। मुझ वादी ने

वयनामा से नामान्तरण दर्ज कराने के लिये वयनामा को हल्का पटवारी को दे दिया था तथा हल्का पटवारी ने जरिये वयनामा के उक्त खरीदशुदा आराजी का नामान्तरण मुझ वादी के नाम दर्ज कर जरिये नामान्तरण संख्या 43 दिनांक 15.09.2020 को राजस्व रिकार्ड जमावन्दी में मुझ वादी के नाम का अमल दरामद भी कर दिया था लेकिन दौराने सैटलमैन्ट राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में से मुझ प्रार्थी के नाम का इन्द्राज सहवन से छूट गया तथा जव प्रतिवादीगण को उक्त तथ्य की जानकारी हुई तो प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिल्लत कर विक्रेता मोहन सिंह की मृत्यू उपरान्त उक्त आराजी की विरासत अपने नाम दर्ज करा ली। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में हो रहे अपने नाम के इन्द्राज के आधार पर उक्त आराजी सम्पूर्ण को दीगर किसी पहुंच बाले व्यक्ति को बेचान करने पर उतारू है। जब वादी दिनांक 10.02.2024 को अपनी उक्त आराजी की देखभाल कर रहा था तो प्रतिवादीगण मौके पर आ गये एवं विवादित आराजी को अन्य किसी व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दी जिसके कारण वादी ने यह वादपत्र न्यायालय में पेश किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता अदालत में हाजिर हुए एवं जबाव हेतु समय चाहा। दिनांक 16.12.2024 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 लगा0 9 ने अदालत में हाजिर होकर राजीनामा पेश किया। दिनांक 24.12.2024 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 10 ने राजीनामा पेश किया एंव दिनांक 27.01.2025 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने राजीनामा पेश किया सभी राजीनामा वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये है। तहसीलदार उच्चैन के द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम फतेहपुर की जमाबंदी सम्बत् 2075–78 में आराजी ख.नं. 1685/504 रकवा 0.41है0 पर ओमवीर, जगवीर, जलवीर, रामवीर, रविन्द्र, सतेन्द्र पिस. मोहनसिंह, पिंकी, राजो, विजय पुत्रीयान मोहनसिंह जाति जाट सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम फतेहपुर की जमाबंदी संवत् 2074 में खाता सं. 260 पर नामा. सं. 43 किस्म वयनामा का नोट लगा हुआ है। जिसमें नामा. सं. 43 किस्म वयनामा के मुताबिक ग्राम फतेहपुर में ख. नं. 1685/504 रकवा 0.41है0 में विक्रेता मोहनसिंह हि. पूर्ण में सोनू पुत्र ओमप्रकाश हि. 17/41 कौम सिकलीगर सा. सेवर के क्रय किया है। फतेहपुर में दौराने सेग्रीगेशन, जमाबंदी संवत् 2075–78 में नामा. सं. 43 किस्म वयनामा का अमल न आने के कारण क्रेता सोनू पुत्र ओमप्रकाश का नाम जमाबंदी संवत् 2075–78 में नहीं आया है। अभिभाषक वादी ने वादपत्र के राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। पत्रावली, पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व रिकार्ड ,राजीनामा, शपथपत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया गया। वादी का वादपत्र राजीनामा के आधार पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आदेश हैः–

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)

वादपत्र वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नम्बर 1685/504/0.41है0 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में हिस्सा 17/41 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगा0 10 का प्रत्येक का हिस्सा 17/410 कुल हिस्सा 17/41 को कलमजद कर इनके स्थान पर वादी को हिस्सा 17/41 का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन भरतपुर

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Gode, Appendix D-1)

अज अदालत ..... उपखण्ड अधिकारी ..... मुकाम ..... उच्चैन .....

व इजलास ..... सुश्री भारती गुप्ता (R.A.S.) .....

..... सोनू ..... बनाम ..... ओमवीर वगैरह .....

दावा बावत् ..... धारा 88, 89, 188 RTA

मुकदमा नं. ..... 140/2024 ..... सन् ..... 140/2024 .....

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसालं कतई रू–ब–रू ..... हमारे .....

व हाजरी ..... श्री यतीन्द्र चौधरी एडवो ..... मिनजानिब ..... श्री गोरधन सिंह

धाकड़ एडवो ..... मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाता है कि ..... वादपत्र वादी राजीनामा के आधार पर डिक्री किया जाता है। वादी को आराजी खसरा नम्बर 1685/504/0.41 हे0 वाके ग्राम फतेहपुर तहसील उच्चैन में हिस्सा 17/41 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी सं0 1 लगा0 10 का प्रत्येक का हिस्सा 17/410 कुल हिस्सा 17/41 को कलमजद कर इनके स्थान पर वादी को हिस्सा 17/41 का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

आज ..... मुबलिग ..... बाबत् .....

खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख बसूलयावी तक ..... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ..... 12 ..... माह ..... 05 ..... वर्ष 2025

को जारी की गई।

दस्तखत ..... Bharti .....

ओहदा ..... उपखण्ड अधिकारी उच्चैन (भरतपुर) .....

मुहर

मुद्दई		रुपया	पैसे	मुद्दालय		रुपये	पैसे
स्टाम्प अरजीदावा	....			स्टाम्प वकालतनामा	....		
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अरजी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	)पर..........		
महनताना वकील	)पर..........			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बावत इजराय हुक्मनामा	....		
बावत इजराय हुक्मनामा	....						
मुतफरिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः– सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद पत्र कमांकः– 140/2024

1. सोनु पुत्र ओमप्रकाश जाति सिकलीगर निवासी सेवर तहसील व जिला भरतपुर। ..वादी

बनाम

1. ओमवीर
2. जगवीर
3. जलवीर सिंह
4. जोगेन्द्र
5. रविन्द्र
6. रामवीर
7. विजय
8. सतेन्द्र पुत्रान मोहन सिंह जाति जाट निवासी नगला धौर फतेहपुर तहसील उच्चैन।
9. पिंकी
10. राजो पुत्रीयान मोहनसिंह जाति जाट निवासी नगला धौर तह0 उच्चैन, भरतपुर।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उच्चैन।

....................प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

Bharti

उपखण्ड अधिकारी
उच्चैन (भरतपुर)